भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1449

10 फरवरी, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष योजनाओं का कार्यान्वयन

1449. श्रीमती कविता मलोथू:
श्री राजन बाबूराव विचारे:
डॉ.जी.रणजीत रेड्डी:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा तेलंगाना राज्य में कार्यान्वित की जा रही केंद्र प्रायोजित योजनाओं और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं का वर्ष-वार, योजना-वार और जिला-वार का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उक्त प्रत्येक योजना के लिए महाराष्ट्र के ठाणे जिले सहित वर्ष-वार, योजना-वार और जिला-वार आवंटित, स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान निर्धारित और प्राप्त लक्ष्यों का वर्ष-वार, योजना-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन में कोई कमी नजर आई है और यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या उक्त योजनाओं में से किसी की लागत और समय में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) शेष निधियां महाराष्ट्र राज्य को कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

<u>उत्तर</u>

आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): आयुष मंत्रालय राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना को देश में तेलंगाना सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित कर रहा है और उनकी राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) में प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार विभिन्न गतिविधियों के तहत उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करके आयुष चिकित्सा पद्धति के विकास और संवर्धन के लिए उनके प्रयासों का समर्थन कर रहा है। मिशन अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित गतिविधियों के लिए प्रावधान करता है:-

i. आयुष स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्र
ii. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंदों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना
iii. मौजूदा एकल सरकारी आयुष अस्पतालों का उन्नयन

iv. मौजूदा सरकारी/पंचायत/सरकारी सहायता प्राप्त आयुष औषधालयों का उन्नयन/मौजूदा आयुष औषधालय (किराए पर/जीर्ण-शीर्ण आवास पर) के लिए भवन का निर्माण/ नए आयुष औषधालय की स्थापना के लिए भवन का निर्माण
v. 10/30/50 बिस्तरों तक के एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना
vi. राजकीय आयुष अस्पतालों, राजकीय औषधालयों और सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थागत आयुष अस्पतालों को जरूरी दवाइयों की आपूर्ति
vii. आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रम
viii. व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण(बीसीसी)
ix. राज्य और जिला स्तर पर गतिशीलता सहायता
x. आयुष ग्राम
xi. उन राज्यों में नए आयुष महाविद्यालयों की स्थापना जहां सरकारी क्षेत्र में आयुष शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता अपर्याप्त है
xii. आयुष स्नातक-पूर्व संस्थानों का अवसंरचनात्मक विकास
xiii. आयुष स्नातकोत्तर संस्थानों/एड ऑन पीजी/फार्मेसी/पैरा मेडिकल पाठ्यक्रमों का अवसंरचनात्मक विकास

इसके अलावा, आयुष मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2021-22 से आयुर्ज्ञान योजना और आयुर्स्वास्थ्य योजना नामक केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं भी संचालित कर रहा है। उक्त योजनाओं के तहत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को धन आवंटित/स्वीकृति/जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है और तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्य सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित पात्र व्यक्तिगत संगठनों/संस्थानों को उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की योग्यता के आधार पर सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) से (च): जबकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021-22 से 2025-26 तक एनएएम को जारी रखने के लिए मंजूरी दी थी, एनएएम की कुछ प्रमुख गतिविधियों की वृद्धि लागत के साथ-साथ आयुष सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों जैसी कुछ नई गतिविधियों को भी एनएएम दिशानिर्देशों में शामिल करने के लिए अनुमोदित किया गया था। तदनुसार, नीति आयोग द्वारा किए गए मूल्यांकन की टिप्पणियां/सिफारिशों और केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन के आधार पर, एनएएम योजना के दिशानिर्देशों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के परामर्श से संशोधित किया गया है और एनएएम की कुछ प्रमुख गतिविधियों के साथ-साथ नए आयुष जन-स्वास्थ्य कार्यक्रमों की लागत में वृद्धि को शामिल किया गया है। दिशानिर्देशों में उपलब्ध योजनाबद्ध प्रावधानों के अनुसार राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए संशोधित एनएएम दिशानिर्देश सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किए गए थे। चूंकि एनएएम योजना का कार्यान्वयन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है, इसलिए भारत सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कोई राज्य-वार विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। हालांकि, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के लिए एनएएम के तहत आवंटित संसाधन पूल उन्हें सूचित किया जाता है और तदनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एनएएम दिशानिर्देशों के अनुरूप आवश्यकतानुसार अपने एसएएपी तैयार करनी होती है।

महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा राज्य वार्षिक कार्य योजना (एसएएपी) के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्तावों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा सूचित एनएएम के तहत आवंटित/स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई धनराशि की वर्ष-वार विस्तृत स्थिति **संलग्नक** पर प्रस्तुत की गई है। हालांकि, जिले-वार कोई धनराशि आवंटित/स्वीकृत और जारी नहीं की जाती है। इसके अलावा, महाराष्ट्र

राज्य सरकार द्वारा चालू वर्ष 2022-23 में प्रस्तुत एसएएपी को 5084.440 लाख रुपये की धनराशि के लिए अनुमोदित किया गया है और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के तहत धन जारी करने की प्रक्रिया और धन के उपयोग की निगरानी के संबंध में व्यय विभाग के दिनांक 23.03.2022 के दिशा-निर्देश सं. एफ.एन.1 (13) पीएफएमएस/एफसीडी/2020 और दिनांक 21.06.2022 के शुद्धिपत्र की शर्तों को महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा पूरी करते ही केंद्रीय हिस्से का पात्र अनुदान शीघ्र जारी किया जाएगा।

*****

संलग्नक

एनएएम के तहत, पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा सूचित, आवंटित/स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई धनराशि की स्थिति

(लाख रुपये में)

वर्ष	**आवंटित/स्वीकृत (केंद्रीय हिस्सा + राज्य हिस्सा)**	**जारी (केंद्रीय हिस्सा)**	**राज्य सरकार द्वारा सूचित व्यय (केंद्रीय हिस्सा)**
2017-18	2973.808	1784.285	613.954
2018-19	0.00	0.00	0.00
2019-20	7181.07	4308.643	2093.668
2020-21	0.00	0.00	0.00
2021-22	0.00	0.00	0.00
2022-23	5084.440	0.00	0.00